

एचईईपी-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मली

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरयाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बढि

- वढि है कऱाज्य के वढिनन औढ्योगक संघों और नरियातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लयि योजना को संशोधत करने और नरियातकों को प्रेरत करने के लयि ब्लॉक-वाइज कैपगि की समीक्षा करने का अनुरोध कयि था।
- नए संशोधनों के अनुसार, वैश्वक बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नरियात को प्रतसिपर्धी बनाने के लयि अन्य गैर-वतितय प्रोत्साहनों सहत इकाई के परसिर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक परवहन लागत की अदायगी के लयि माल ढुलाई सब्सडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान कयि जाएंगे।
- वनरिमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तवक माल ढुलाई के 1 प्रतशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनश्चिती की जाएगी।
- थरस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचि) के लयि, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थत थरस्ट सेक्टर में लगे नरिमाता नरियातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थरस्ट सेक्टर 'ए' और 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में लगे नरिमाता नरियातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सडी सुनश्चिती की जाएगी।
- अन्य सभी पात्र नरिमाता नरियातक इकाइयों (नॉन-थरस्ट सेक्टर) के लयि, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थत नरिमाता नरियातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा 'ए' और 'बी' श्रेणी ब्लॉक में स्थत नरिमाता नरियातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सडी सुनश्चिती की जाएगी।
- नई संशोधन नीत में वनरिमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टफाइड इकाइयों के लयि शत-प्रतशत सब्सडी, जेडईडी सलिवर सर्टफाइड इकाइयों के लयि 75 प्रतशत और जेडईडी काँस्य सर्टफाइड इकाइयों के लयि फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तवक माल ढुलाई के 1 प्रतशत में से सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, 33 प्रतशत सब्सडी सुनश्चिती की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वतितय वर्ष की समाप्त की तारीख से 6 महीने की अवध के भीतर वढिाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सडी की मंजूरी देने के लयि महानदिशक/नदिशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- मंत्रिमंडल द्वारा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तथि में बदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृती दी गई।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तथि 1 जुलाई, 2023 होगी जसिका अर्थ है कऱा वास्तवक नरियात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद कयि जाना चाहयि, यह उठान के बलि के आधार पर नरिधारत कयि जाएगा।
- ध्यातव्य हो कयिह नीतऱाज्य में 1 लाख करोड रुपए का नविश आकर्षत करने और 5 लाख नौकरयिों पैदा करने के उद्देश्य से अधिसूचिती की गई थी।
- हरयाणा उद्यम और रोजगार नीत (एचईईपी), 2020, औढ्योगक प्रतसिपर्धात्मकता, संतुलत कषेत्रीय वकिस, नरियात, नवाचार और उद्यमता और मजबूत औढ्योगक बुनयिादी ढाँचे को बढावा देने के लयि राज्य के समग्र सामाजक-आर्थक वकिस के लयि पाँच स्तंभों की पहचान करती है।